सं. 21034/14/2006-रा.भा.(प्रशि.)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत ली जाने वाली हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएं निजी प्रयत्नों से उत्तीर्ण करने पर दिए जाने वाले एकमुश्त पुरस्कार को दिसम्बर 2005 से आगे ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए जारी रखना ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 04 सितम्बर 2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/1/2001-रा.भा.(प्रशि0) का हवाला देते हुए, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत ली जाने वाली हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं निजी प्रयत्नों से उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों को देय एकमुश्त पुरस्कार को **31 दिसम्बर, 2005 से आगे 31 दिसम्बर, 2008** तक जारी रखने के लिए राष्ट्रपति जी की स्वीकृति सूचित करने का निदेश हुआ है । बढ़ाई गई यह अवधि ष क ष, ष ख ष एवं ष्ग ष सभी तीनों क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए समान रूप से लागू होगी । इस पुरस्कार की पात्रता के लिए शर्तें एवं दरें वही होंगी जो इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/3/76-रा.भा.(घ), दिनांक 21.05.1977; कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011/5/83-रा.भा.(घ), दिनांक 29.10.1984 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/3/94-हिं.शि.यो. (मु.), दिनांक 16.02.1995 में दी गई हैं ।

2. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

3. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा उनकी अ.वि.टिप्पणी संख्या- 7/16/2006-ई. III (ए), दिनांक 31.07.2006 के तहत दी गई सहमति से जारी किया गया है ।

4. यह कार्यालय ज्ञापन सभी संबंधितों के ध्यान में ला दिया जाए ।

(विजय कुमार गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. योजना आयोग, नई दिल्ली ।

6. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली । उनकी दिनांक 21.08.2006 की अ.वि.टिप्पणी संख्या-102-लेखा परीक्षा (नियम) / 67-98 के संदर्भ में ।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालय ।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र ।
3. गृह मंत्रालय, वित्त- II अनुभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली । उनकी अ.वि.टिप्पणी संख्या-52/वित्त- II /हिंदी/2006, दिनांक 05.05.2006 के संदर्भ में ।
4. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वॉ तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ.कांप्लेक्स, नई दिल्ली ।
5. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी एवं डेस्क/अनुभाग
6. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
7. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव ।
8. गार्ड फाइल ।
9. अतिरिक्त प्रतियां - 50

(विजय कुमार गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार